जिला परिषद कार्यालय, बोकारो।

अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–03/2025-26

विज्ञापन दाता का नाम	:-	उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बोकारो।
निविदा दस्तावेज बिक्री की तिथि	:-	दिनांक 10/03/26........ को 10:30 बजे पूर्वा0 से दिनांक 10/03/26........ को 5:00 बजे अप0 तक जिला परिषद कार्यालय, बोकारो के विभागीय वेबसाइट (www.zilaparishadbokaro.com) के माध्यम से निविदा दस्तावेज प्राप्त करेंगे।
निविदा प्राप्ति की तिथि/स्थान	:-	दिनांक 10/03/26........ को 10:30 बजे पूर्वा0 से दिनांक 11/03/26........ को 3:00 बजे अप0 तक/जिला परिषद कार्यालय, बोकारो के विभागीय वेबसाइट (www.zilaparishadbokaro.com) के माध्यम से निविदा दस्तावेज समर्पित करेंगे।
निविदा खोलने की तिथि/स्थान	:-	दिनांक 12/03/26..... को 3:30 बजे अप0/जिला परिषद कार्यालय, बोकारो।

मद का नाम :– अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण मद

निविदा

क्र0 स0	ग्रुप संख्या	प्रखंड	योजना का नाम	प्रा0 राशि (रू0 में)	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य पूर्णता की अवधि
1.	1	चास	जिला परिषद् कार्यालय, बोकारो में कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष का सुसज्जीकरण का कार्य।	1358500.00	प्राक्कलित राशि का 2 प्रतिशत	2500.00	60 दिन
			कुल	1358500.00			
2.	2	चास	जिला परिषद् कार्यालय, बोकारो में जिला अभियंता के कार्यालय कक्ष का सुसज्जीकरण का कार्य।	1208300.00	प्राक्कलित राशि का 2 प्रतिशत	2500.00	60 दिन
			कुल	1208300.00			
	पुनर्निविदा						
	मद का नाम:– 15वें वित्त आयोग मद (अनाबद्ध)						
	NIT-06/2024-25						
3.	3	चास	कोलबेन्दी पंचायत के नासू अंसारी के घर के सामने से ईजरी नदी तक पी0सी0सी0 पथ का निर्माण।	400000.00	प्राक्कलित राशि का 2 प्रतिशत	1250.00	60 दिन
4.		चास	कोलबेन्दी पंचायत के मामरकुदर के राजन महतो के घर के सामने से हरिलागोडा रोड तक पी0सी0सी0 पथ का निर्माण।	400000.00			
5.		चास	बाबुडीह पंचायत के डाबरबहाल ग्राम के मेन रोड से अंसारी टोला तक पी0सी0सी0 पथ का निर्माण।	400000.00			
6.		चास	बाबुडीह पंचायत के ग्राम सिलफोर के पोराबाद रियो रोड से रजवार टोला तक पी0सी0सी0 पथ का निर्माण।	400000.00			
			कुल	1600000.00			
7.	4	चन्दनकियारी	गम्हारिया पंचायत के बड़दा गांव के मंडल टोला में सामुदायिक भवन का निर्माण।	782000.00	प्राक्कलित राशि का 2 प्रतिशत	1250.00	तीन माह
			कुल	782000.00			
	NIT-01/2025-26						
	मद का नाम:– 15वें वित्त आयोग मद (आबद्ध)						
8.	5	चास	मानगो पंचायत के अफिजूल अंसारी के घर के सामने चापाकल में सोलर जलमिनार का निर्माण।	359000.00	प्राक्कलित राशि का 2 प्रतिशत		60 दिन
9.		चास	मानगो पंचायत के सरकारी स्कूल के सामने तालाब पर स्नानघाट का निर्माण।	400000.00			
			कुल	759000.00			
10.	6	चास	जाला ग्राम में केवट टोला में नाली का निर्माण।	1521100.00	प्राक्कलित राशि का 2 प्रतिशत	5000.00	60 दिन
			कुल	1521100.00			

Scanned with OKEN Scanner

11.	7	चास	भतुआ पंचायत के अंतर्गत राजू बांध में स्नानघाट का निर्माण।	400000.00	प्राक्कलित राशि का 2 प्रतिशत	5000.00	60 दिन
12.		चास	भतुआ पंचायत के अंतर्गत आमसाटॉड में कालीचरण मेहरा के घर से शिव मंदिर तक नाली का निर्माण।	700000.00	प्राक्कलित राशि का 2 प्रतिशत		
13.		चास	नारायणपुर पंचायत के ग्राम नारायणपुर स्थित कुल्हु बांध में स्नानघाट का निर्माण।	400000.00	प्राक्कलित राशि का 2 प्रतिशत		
			कुल	**1500000.00**			
14.	8	चास	कोलबेन्दी पंचायत के हरलागोड़ा के झगरू महतो के तालाब में घाट का निर्माण।	400000.00	प्राक्कलित राशि का 2 प्रतिशत	1250.00	60 दिन
15.		चास	बारपोखर पंचायत के ग्राम बारपोखर में तेली बांध में स्नानघाट का निर्माण।	400000.00	प्राक्कलित राशि का 2 प्रतिशत		
			कुल	**800000.00**			
16.	9	चास	पिण्ड्राजोरा पंचायत के केन्दाडीह रुपु बांध में स्नानघाट का निर्माण।	400000.00	प्राक्कलित राशि का 2 प्रतिशत	1250.00	60 दिन
17.		चास	पौखन्ना पंचायत के ग्राम आमाडीह के ठाकुर बांध में स्नानघाट का निर्माण।	400000.00	प्राक्कलित राशि का 2 प्रतिशत		
			कुल	**800000.00**			
18.	10	चन्दनकियारी	महाल पश्चिमी पंचायत के भंडारी बांध इस्लाम टोला पीपल पेड़ के सामने सार्वजनिक स्थल पर डीप बोरिंगयुक्त सोलर जलमिनार का निर्माण।	655600.00	प्राक्कलित राशि का 2 प्रतिशत	2500.00	60 दिन
19.		चन्दनकियारी	सिलफोर पंचायत के भोलका बांध में स्नानघाट सह चेंजिंग रूम का निर्माण।	400000.00			
20.		चन्दनकियारी	बोगुला पंचायत के बोगुला ग्राम के बडा बाघ गड़िया में स्नान घाट निर्माण।	400000.00			
			कुल	**1455600.00**			
			मद का नामः— 15वें वित्त आयोग मद (अनाबद्ध)				
21.	11	कसमार	कसमार प्रखण्ड के काली मंदिर के सामने चापानल के बगल के चबूतरा में टाईल्स मरम्मति का कार्य।	200000.00	प्राक्कलित राशि का 2 प्रतिशत	1250.00	60 दिन
22.		जरीडीह	तांतरी उत्तरी पंचायत के मंडईथान काली मन्दिर के सामने सार्वजनिक चबुतरा का निर्माण।	205600.00			
23.		चन्दनकियारी	माढ़रा पंचायत के ग्राम तेकड़ा में चबुतरा निर्माण।	205600.00			
24.		चन्दनकियारी	पोलकिरी पंचायत के ग्राम आमडीहा ग्रामथान के सामने में चबुतरा निर्माण।	205600.00			
			कुल	**816800.00**			

नोट :— 1. संवेदक को निबंधन प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेज एवं परिमाण विपत्र मूल्य की राशि जिला परिषद् के विभागीय वेबसाईट www.zilaparishadbokaro.com के माध्यम ऑनलाईन भुगतान करने के उपरांत परिमाण विपत्र (बी0ओ0क्यू0) एवं निविदा संबंधी दस्तावेज डाउनलोड होगा।

2. निविदा की सभी शर्ते जिला परिषद, कार्यालय बोकारो के सूचना पट्ट एवं विभागीय Website- www.zilaparishadbokaro.com पर देखा जा सकता है।

District Engineer
Zila Parishad Bokaro

02.3.26

05/03

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, बोकारो।

ज्ञापांक 95 /जि0प0, दिनांक 05/03/26

प्रतिलिपिः— जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि उक्त निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–03/2025–26 का प्रकाशन अगले अंक में करना सुनिश्चित करेंगे।

05/03

District Engineer
Zila Parishad Bokaro

02.3.26

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, बोकारो।

Scanned with OKEN Scanner

जिला परिषद कार्यालय, बोकारो

–: निविदा की नियम एवं शर्त्ते :–

1. प्राक्कलित राशि घट–बढ़ सकती हैं। लेकिन आलेख्य मे परिवर्तन के आधार पर संवेदक को समानुपातिक भुगतान होगा।
2. 50 (पच्चास) लाख रू0 से ऊपर की निविदा में निविदादाता को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रस्ताव दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में जमा करना होगा। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता/प्रस्तावक का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
3. निविदा दस्तावेज के कय के समय सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं निबंधन से संबंधित मूल अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा दस्तावेज निर्गत नहीं किया जाएगा ।
4. जिला परिषद, बोकारो से निबंधित समुचित श्रेणी के संवेदक ही आमंत्रित निविदा में भाग ले सकते है।
5. निविदा दस्तावेज के साथ विगत तीन वित्तीय वर्ष (2022–23, 2023–24, 2024–25) का आयकर सफाया प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 सफाया प्रमाण पत्र, पेन–कार्ड एवं उपायुक्त द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र आदि संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
6. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में पंचवर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र/पास बुक/बैंक की सावधि जमा जिला अभियंता, जिला परिषद, बोकारो के पदनाम से प्रतिज्ञित हो, ही स्वीकार होगा ।
7. जिस संवेदक को जिला परिषद, बोकारो से पूर्व आवंटित कोई कार्य लंबित हो अथवा उनका कार्य संतोषजनक नहीं रहा हो, तो उन्हें कार्य के आवंटन पर विचार नही किया जाएगा।
8. संवेदक को कार्य आवंटन के उपरांत सबलेट करना एकरारनामा शर्त्त का उल्लंघन होगा एवं समुचित सूचना प्राप्त होने पर एकरारनामा रदद करते हुए संवेदक को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाएगी।
9. कार्य मे लगने वाली निर्माण सामग्री यथा मशीन, लोहा, सीमेंट आदि संवेदक को स्वंय आपूर्ति करना होगा। जिला परिषद, बोकारो में उपलब्ध निर्माण सामग्री भी कार्य हेतु दिया जा सकता है। कार्य में प्रयुक्त होने वाले उपस्कर संवेदक को स्वंय लाना होगा ।
10. कार्य में स्थानीय मजदूर को लगाना एवं उन्हें सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
11. निविदादाता स्वंय कार्य स्थल का निरीक्षण कर स्थिति देख ले एवं स्थिति से संतुष्ट होने के बाद ही निविदा में भाग लें। विशेष परिस्थिति में ही स्थल परिवर्तन किया जायेगा।
12. आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भुगतान किया जाएगा। आवंटन के अभाव में किसी तरह का दावा मान्य नहीं होगा।
13. यदि निविदा प्राप्ति की तिथि को अवकाश घोषित होता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय पर प्राप्त की जायेगीं।
14. निविदा की अन्य शर्ते विस्तृत निविदा पत्र के साथ सलग्न होगी जो निविदादाता को मान्य होगा। यह एकरारनामा के अभिन्न अंग होगें।
15. कार्य को निर्धारित अवधि मे हर हाल में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
16. विशेष सूचना एवं अन्य संबंधित जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।
17. आवश्यकतानुसार समय–समय पर Quality Test Report प्राप्त होने के पश्चात ही भुगतान किया जाएगा।
18. योजना पूर्ण होने के पश्चात उसके एक वर्ष आगे तक उसके रख रखाव की पूर्ण जिम्मेवारी संवेदक की होगी।
19. तार या डाक द्वारा निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
20. निविदादाता द्वारा संलग्न Annexure-2 मे संवेदक को आवंटित निबंधन प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किये गये नियमों का अक्षरशः अनुपालन संबंधी आशय का शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
21. पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–2146 (S) दिनांक 09.09.2020 के संशोधन के अनुसार झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता की कंडिका 163(a) द्वारा कृत प्रावधान को अवक्रमित करते हुए 10 प्रतिशत की न्यूनतम अधिसीमा को

Scanned with OKEN Scanner

समाप्त किया गया है। सम्प्रति 10 प्रतिशत की नीचे के दर की निविदायें अनुमान्य होगी। 10 प्रतिशत से न्यून निविदाओं के लिए Additional Performance Security के रुप में परिमाण विपत्र की राशि से (i) 10–20 प्रतिशत न्यूनतम की राशि का 20 प्रतिशत तथा (ii) 20 प्रतिशत से अधिक न्यूनतम तक की राशि का 30 प्रतिशत अतिरिक्त जमानत का प्रावधान लागू है, साथ ही 10 प्रतिशत से अधिक न्यूनतम दर पर निविदा डालने वाले संवेदक को L1 होने के पश्चात् एकरारनामा के पूर्व योजना/कार्य प्राक्कलन के अनुरूप गुणवत्ता के मानक के साथ योजना पूर्ण करने से संबंधित प्रमाण पत्र शपथ के रूप में देना अनिवार्य होगा, ताकि योजना/कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की गिरावट नहीं हो अन्यथा संवेदक के विरूद्ध संवेदक नियमावली एवं अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकार स्वतंत्र होंगे।

22. वैध एवं समान दर की निविदाओं के मामले में निविदा निष्पादन के प्राधिकार के द्वारा पारदर्शी तरीके से लॉटरी की पद्धति अपनायी जायेगी।

23. झारखण्ड सरकार, राँची के द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश/निदेश के आलोक में रॉयल्टी, आयकर एवं अन्य कटौतियाँ नियमानुसार की जाएगी।

24. **निविदा को बिना कारण बताए रदद् करने का अधिकार सक्षम प्राधिकार उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बोकारो के पास सुरक्षित होगा ।**

जिला अभियंता,
जिला परिषद, बोकारो।

कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, बोकारो।

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, बोकारो।

Scanned with OKEN Scanner